प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

(माननीय श्री प्रीतिंकर दिवाकर, न्यायमूर्ति)

दाण्डिक अपील क्रमांक: 1703/1995

अपीलार्थी भवर लाल

विरुद्ध

प्रत्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दिनांक 09.07.2012 को निर्णय की उद्घोषणा के लिए सूचीबद्ध करें।

सही/-

प्रीतिंकर दिवाकर

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

(माननीय श्री प्रीतिंकर दिवाकर, न्यायमूर्ति)

दाण्डिक अपील क्रमांक: 1703/1995

अपीलार्थी भवर लाल

विरुद्ध

प्रत्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य

भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 374(2) के अधीन प्रस्तुत दाण्डिक अपील

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थित:- अपीलार्थी की ओर से – श्री प्रवीण तुलसियान, अधिवक्ता।

प्रत्यर्थी /राज्य की ओर से – श्री प्रवीण दास, उप शासकीय अधिवक्ता ।

निर्णय

(दिनांक 09.07.2012)

1. यह अपील दिनांक 12.12.1995 को पारित उस आक्षेपित निर्णय एवं आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जो तृतीय अपर विशेष न्यायाधीश, बस्तर द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 32/1995 में पारित किया गया, जिसके द्वारा अभियुक्त/अपीलार्थी को स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (संक्षेप में एन.डी.पी.एस. अधिनियम) की धारा 20(ख) के अंतर्गत दोषसिद्ध ठहराते हुए उसे ढाई वर्ष (दो वर्ष एवं छह माह) के सश्रम कारावास एवं रुपये 10,000/- (दस हजार रुपये) के अर्थदंड से दंडित किया गया।

अर्थदंड अदा न करने की दशा में उसे एक वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतने का आदेश दिया गया।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि—दिनांक 31.05.1995 को एन. कुजूर (अ.सा.-3), थाना प्रभारी, पुलिस थाना नगरनार, जिला बस्तर, अपने साथ सहायक उपनिरीक्षक विजयनाथ सिंह (अ.सा.-1) के साथ गश्त ड्यूटी पर थे, उसी दौरान उन्हें मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि दो व्यक्ति उड़ीसा राज्य की सीमा पार करते हुए अपने पास रखे हुए गांजा को लेकर आ रहे हैं। दोनों विजयनाथ सिंह (अ.सा.-1) एवं एन. कुजूर (अ.सा.-3) संदिग्ध स्थान पर नाकाबंदी किये तथा कुछ समय पश्चात मोटरसाइकिल जिसका पंजीयन क्रमांक एमपी-25/0921 है को मार्ग में रोके। अभियुक्त/अपीलार्थी को एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 50 के अंतर्गत सूचना प्रदर्श पी-1 के माध्यम से दी गई तथा उसकी सहमति प्राप्त करने के पश्चात वाहन की तलाशी ली गई। तदुपरांत, वाहन की तलाशी के दौरान अभियुक्त/अपीलार्थी के कब्जे में एक प्लास्टिक की थैली में रखा हुआ गांजा पाया गया। अभियुक्त/अपीलार्थी को अनुलग्नक पी-2 के माध्यम से सूचना-पत्र देकर यह पूछा गया कि क्या उसके पास उक्त विनिषिद्ध वस्तु को ले जाने की कोई अनुज्ञप्ति/अनुज्ञापत्र है, और उत्तर में, अपीलार्थी द्वारा कथन किया गया कि उसके पास ऐसी कोई अनुज्ञप्ति नहीं है। प्रदर्श पी-3 के अनुसार उक्त विनिषिद्ध वस्तु की जप्ती की गई तथा अभियुक्त/अपीलार्थी के कब्जे से कुल 15 किलोग्राम गांजा पाया गया। प्रदर्श पी-4 के माध्यम से तौल पंचनामा तैयार किया गया तथा देहाती नालिसी प्रदर्श पी-5 दर्ज की गई। पुलिस थाना पहुँचने पर प्रदर्श पी-6 के अनुसार अपराध क्रमांक 86/1995 के अंतर्गत एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 20(ख) के अधीन प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज की गई। उसी दिन अर्थात दिनांक 31.05.1995 को वरिष्ठ अधिकारी,

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

अर्थात् पुलिस अधीक्षक, बस्तर को रेडियो संदेश प्रेषित किया गया। तत्पश्चात प्रदर्श पी-9 के अनुसार नमूना तैयार किया गया तथा प्रदर्श पी-8 के माध्यम से थैली को सीलबंद कर आरक्षक क्रमांक 816 को विनिषिद्ध वस्तु को सुरक्षित अभिरक्षा में रखने हेतु सौंपा गया। प्रदर्श पी-10 के अनुसार दिनांक 14.06.1995 को घटना स्थल का नक्शा तैयार किया गया। नमूना, विधि विज्ञान प्रयोगशाला को प्राप्त हुआ तथा उसका प्रतिवेदन प्रदर्श पी-11 दिनांक 15.06.1995 को प्राप्त हुआ। विधि विज्ञान प्रयोगशाला में, जप्त विनिषिद्ध वस्तु को गांजा पाया गया। विवेचना पूर्ण होने के पश्चात दिनांक 08.02.1995 को अभियोग पत्र एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 20(ख) के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया।

3. अभियोजन द्वारा अभियुक्त/अपीलार्थी के अपराध को सिद्ध करने हेतु कुल पाँच साक्षियों का परीक्षण किया गया। अभियुक्त/अपीलार्थी का कथन दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत भी अभिलिखित किया गया, जिसमें उसने अपने विरुद्ध लगाए गए आरोपों से इन्कार करते हुए स्वयं को निर्दोष होने तथा प्रकरण में उसे झूठा फँसाए जाने का अभिवाक् किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. पक्षकारों को सुनने के उपरांत, विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त/अपीलार्थी को इस निर्णय के कंडिका क्रमांक-1 में उल्लिखित अनुसार दोषसिद्ध एवं दण्डित किया गया।

5. पक्षकारों के विद्वान् अधिवक्ताओं को सुना गया तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री एवं आक्षेपित निर्णय का अवलोकन किया गया।

6. अपीलार्थी की ओर से विद्वान् अधिवक्ता श्री तुलसियान का यह तर्क है कि एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 42 से 57 तक का पूर्णतः अनुपालन नहीं किया गया है। उनका तर्क है कि यद्यपि अभियोग पत्र के अनुसार विवेचना विजयनाथ सिंह (अ.सा.-1) द्वारा की गई बताई गई है, किंतु वास्तव

में एन. कुजूर (अ.सा.-3) के कथन के अनुसार विवेचना उन्हीं (एन. कुजूर) के द्वारा की गई तथा उन्होंने ही शिकायतकर्ता/परिवादी के रूप में प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज कराई है। उन्होंने आगे यह तर्क प्रस्तुत किया कि जप्त विनिषिद्ध वस्तु को घटना स्थल पर सीलबंद नहीं किया गया, अपितु पुलिस थाना में सीलबंद किया गया। उन्होंने यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे यह सिद्ध हो सके कि जप्त विनिषिद्ध वस्तु को मालखाना में सुरक्षित रखा गया था या नहीं। यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि विनिषिद्ध वस्तु की जप्ती के दौरान नमूने नहीं लिए गए, जिससे सम्पूर्ण विचारण दूषित हो जाता है। उन्होंने यह तर्क भी प्रस्तुत किया कि विनिषिद्ध वस्तु को विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजते समय विवेचना अधिकारी द्वारा उस विनिषिद्ध वस्तु पर अपनी स्वयं की सील अंकित नहीं की गई तथा विचारण न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि साक्ष्यों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि वस्तु/सामग्री -ए पर किसकी सील अंकित थी। उन्होंने आगे यह तर्क भी प्रस्तुत किया कि वरिष्ठ अधिकारी को सूचना विधिवत रूप से नहीं दी गई तथा मात्र रेडियो संदेश प्रेषित किया जाना एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 57 के अनुपालन हेतु पर्याप्त नहीं है। अंत में यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि जप्ती साक्षी पुरन सिंह (अ.सा.-2) ने अभियोजन के प्रकरण का समर्थन नहीं किया है तथा उसे पक्षद्रोही घोषित किया गया, जबकि अन्य जप्ती साक्षी दयानिधि का अभियोजन द्वारा परीक्षण ही नहीं कराया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत तर्कों के जवाब में, विद्वान् उप शासकीय अधिवक्ता श्री प्रवीण दास द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियोजन द्वारा आज्ञापक प्रावधानों का विधिवत पालन किया गया है। उन्होंने यह तर्क प्रस्तुत किया कि यद्यपि अभियुक्त/अपीलार्थी को धारा 50 के अंतर्गत प्रदर्श

पी-1 के माध्यम से नोटिस दिया गया था, तथापि वर्तमान प्रकरण में इसका विशेष महत्व नहीं है, क्योंकि विनिषिद्ध वस्तु की जप्ती अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा अपनी मोटरसाइकिल पर ले जाए जा रहे प्लास्टिक के थैले से की गई है। वह आगे तर्क प्रस्तुत करते है कि यद्यपि पुरन सिंह (अ.सा.-2) को पक्षद्रोही घोषित किया गया है, तथापि प्रतिपरीक्षा में उसने जप्ती की कार्यवाही साथ ही इस तथ्य को स्वीकार किया है कि अभियुक्त/अपीलार्थी अपनी मोटरसाइकिल पर एक थैला ले जा रहा था। इसके अतिरिक्त, उक्त साक्षी ने सूचना-पत्र प्रदर्श पी-2, प्रदर्श पी-3 (जप्ती पत्रक) एवं तौल पंचनामा प्रदर्श पी-4 पर अपने हस्ताक्षर होना भी स्वीकार किया है। वह आगे तर्क प्रस्तुत करते है कि उक्त साक्षी ने स्पष्ट रूप से यह स्वीकार किया है कि सम्पूर्ण कार्यवाही विद्याधर की दुकान के सामने संपन्न की गई थी, जिसे अ.सा.-4 के रूप में परीक्षण किया गया है तथा उसने स्पष्ट रूप से अभियोजन के प्रकरण का समर्थन किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. राज्य की ओर से विद्वान् अधिवक्ता द्वारा आगे यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि गश्त के दौरान एन. कुजूर (अ.सा.-3) एवं विजयनाथ सिंह (अ.सा.-1) को सूचना प्राप्त हुई, जिसके पश्चात वे तत्काल घटना स्थल पर पहुँचे तथा समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण करने के उपरांत पुलिस थाना में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रतिवेदन पी-6 दर्ज की गई। आगे यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 50 के अंतर्गत नोटिस एन. कुजूर (अ.सा.-3) द्वारा दिया गया था तथा इसी प्रकार नोटिस प्रदर्श पी-2 भी उनके द्वारा ही दिया गया। आगे, यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रदर्श पी-5 (देहाती नालिसी) एवं एफ.आई.आर. प्रदर्श पी-6 भी एन. कुजूर (अ.सा.-3) द्वारा ही दर्ज की गई थी। वह आगे तर्क प्रस्तुत करते है कि शेष विवेचना विजयनाथ सिंह (अ.सा.-1) द्वारा की गई है और इस प्रकार यदि दो व्यक्तियों

द्वारा विवेचना की गई तथा अंततः अभियोग पत्र विजयनाथ सिंह (अ.सा.-1) द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो इससे अभियुक्त/अपीलार्थी को किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं पहुँचा है। आगे यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि यदि घटना स्थल पर नमूने नहीं लिए गए हों, तो भी इससे अभियोजन के प्रकरण पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि सम्पूर्ण प्लास्टिक की थैली को सीलबंद कर यथावत विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया था, जिसे दिनांक 14.06.1995 को विधिवत प्राप्त किया गया। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि एक बार पुलिस थाना की सील अंकित कर सम्पूर्ण विनिषिद्ध वस्तु को विधिवत सीलबंद कर दिया गया हो, तो थाना प्रभारी द्वारा अपनी व्यक्तिगत सील अंकित किया जाना आवश्यक नहीं है, विशेषकर तब जब सीलबंदी की प्रक्रिया विवादित नहीं है। आगे यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि विधि के अधीन यह आवश्यक नहीं है कि विवेचना अधिकारी अपनी व्यक्तिगत सील अंकित करे। आगे, यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि रेडियो संदेश प्रदर्श पी-7 तत्काल पुलिस अधीक्षक, बस्तर को प्रेषित किया गया, जिसकी सूचना उप महानिरीक्षक, बस्तर को भी दी गई, तथा उक्त विस्तृत संदेश से यह स्पष्ट होता है कि एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 57 के प्रावधानों का विधिवत अनुपालन किया गया है। आगे यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि विवेचना अधिकारी विजयनाथ सिंह (अ.सा.-1) एवं एन. कुजूर (अ.सा.-3) तथा जप्ती साक्षी विद्याधर (अ.सा.-4) एवं शेखरलाल (अ.सा.-5) ने अभियोजन के प्रकरण का पूर्ण समर्थन किया है तथा यद्यपि पुरन सिंह (अ.सा.-2) को पक्षद्रोही घोषित किया गया है, तथापि प्रतिपरीक्षा में उसने भी अभियोजन के प्रकरण का चतुराई से समर्थन किया है। राज्य की ओर से विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि स्वतंत्र साक्षी के अभाव में भी,

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

केवल विजयनाथ सिंह (अ.सा.-1) एवं एन. कुजूर (अ.सा.-3) के कथनों के आधार पर अभियुक्त/अपीलार्थी को दोषसिद्ध किया जा सकता है।

9. सहायक उपनिरीक्षक अर्थात् विजयनाथ सिंह (अ.सा.-1) ने कथन किया है कि दिनांक 31.05.1995 को वह पुलिस थाना नगरनार में पदस्थ थे और घटना के दिन जब वह गाँव कोसमी में अपनी गश्त ड्यूटी पर थे, तो उन्हें सूचना प्राप्त हुई कि उड़ीसा राज्य की सीमा से कुछ व्यक्ति गांजा लेकर आ रहे हैं। उन्होंने आगे कथन किया कि वह अपने स्टाफ के सदस्यों के साथ घटना स्थल पर पहुँचे, सड़क मार्ग पर नाकाबंदी की और रात लगभग 1 बजे से 1.30 बजे के बीच एक मोटरसाइकिल आती हुई देखी, जिसमें दो व्यक्ति सवार थे। उक्त वाहन को रोका गया और जब उन्होंने मोटरसाइकिल चालक से पूछा, तो उसने अपना नाम भवर लाल और साथ बैठे व्यक्ति का नाम पंचराम कथन किया। उन्होंने कथन किया है कि ये दोनों व्यक्ति थैले ले जा रहे थे और पूछने पर उन्होंने कथन किया कि उन थैलों में गांजा है। धारा 50 के अधीन नोटिस दिया गया और उनकी सहमति प्राप्त करने के पश्चात तलाशी ली गई। प्रदर्श पी-2 के अनुसार उनसे यह पूछा गया कि क्या उनके पास गांजा ले जाने की अनुज्ञप्ति है, जिस पर उन्होंने उन्हें अवगत कराया कि उनके पास ऐसी कोई अनुज्ञप्ति नहीं है। अभियुक्त पंचराम के कब्जे से 10 किलोग्राम और भवर लाल के कब्जे से 15 किलोग्राम गांजा जप्त किया गया, जिसे सील कर रासायनिक परीक्षण के लिए भेजा गया। इस साक्षी के अनुसार, शेष विवेचना एन. कुजूर (अ.सा.-3) द्वारा की गई। प्रतिपरीक्षा में उन्होंने स्पष्ट रूप से कथन किया है कि औपचारिकताएँ पूरी करने के बाद गांजा प्रधान आरक्षक शेखर लाल (अ.सा.-5) को सुरक्षित अभिरक्षा में रखने हेतु सौंप दिया गया। हालांकि, प्रदर्श पी-1 और पी-2 में समय उल्लेखित नहीं था। उन्होंने कथन किया है कि तौल उनके समक्ष की गई, लेकिन अभियुक्तों

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

के हस्ताक्षर प्राप्त नहीं किए गए। कंडिका 9 में उन्होंने स्पष्ट किया है कि एक ही वाहन से दो थैले जिनमें गांजा था, दो अलग-अलग व्यक्तियों से जप्त किए गए, इसलिए उनके विरुद्ध दो अलग-अलग प्रकरण दर्ज किए गए। उन्होंने इंकार किया है कि यह कार्य केवल अभियुक्तों को परेशान करने हेतु किया गया था। पुरन सिंह (अ.सा.-2), जो विनिषिद्ध वस्तु की जप्ती के साक्षी थे, ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया और उन्हें पक्षद्रोही घोषित किया गया। हालांकि, उन्होंने जप्ती पत्रक और तौल पंचनामा प्रदर्श पी-4 पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किए और कथन किया कि प्रश्नाधीन वाहन में दो थैले पाए गए। एन. कुजूर (अ.सा.-3), थाना प्रभारी (पीडब्ल्यू-3) ने अभियोजन के प्रकरण का समर्थन करते हुए कथन किया कि घटना के दिन वह विजयनाथ सिंह (अ.सा.-1) और स्टाफ के अन्य सदस्यों के साथ गाँव कोसमी गए थे और रात में एक वाहन को रोका गया और पूछताछ पर चालक और पीछे बैठे व्यक्ति ने अपने नाम पंचराम और भवर लाल बताए। उनके अनुसार, वे थैलों में गांजा ले जा रहे थे। इसके बाद, विजयनाथ सिंह (अ.सा.-1) द्वारा उन्हें सूचना-पत्र दिया गया और औपचारिकताएँ पूरी होने के पश्चात उनके विरुद्ध प्रकरण दर्ज किए गए। तौल के समय पंचराम के कब्जे में 10 किलोग्राम और भवर लाल के कब्जे में 15 किलोग्राम गांजा पाया गया, जिसे शेखर लाल (अ.सा.-5) को सुरक्षित अभिरक्षा में रखे जाने हेतु प्रदर्श पी-8 के अनुसार सौंप दिया गया। इसके बाद, पुलिस थाना की सील लगाकर गांजा रासायनिक परीक्षण के लिए भेजा गया। विद्याधर (अ.सा.-4), जो तौल पंचनामा प्रदर्श पी-4 के साक्षी थे, ने अभियोजन के प्रकरण का समर्थन किया। शेखर लाल (अ.सा.-5) ने कथन किया है कि अपराध क्रमांक 85/1995 में 15 किलोग्राम गांजा की पावती प्रदर्श पी-8 के माध्यम से उन्हें सुरक्षित अभिरक्षा में रखे जाने हेतु सौंपा गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10.अपीलकर्ता के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क में इस न्यायालय को कोई बल प्रतीत नहीं होता कि विवेचना दो व्यक्तियों द्वारा की गई, इसलिए संपूर्ण विचारण दूषित हो गया। अभिलेखों से स्पष्ट है कि विवेचना का एक भाग एन. कुजूर (अ.सा.-3) द्वारा किया गया और इसके बाद अ.सा.-1, विजयनाथ सिंह ने इसे आगे बढ़ाया तथा विधि के अधीन ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है कि किसी प्रकरण की विवेचना दो व्यक्तियों द्वारा नहीं की जा सकती। इसके अतिरिक्त, बचाव पक्ष यह भी दर्शित करने में असमर्थ रहा है कि यदि प्रारंभ में एक व्यक्ति द्वारा विवेचना की गई और बाद में दूसरा व्यक्ति उसे आगे बढ़ाए, तो इससे उनके प्रकरण या पक्ष को क्या हानि हुई। यह न्यायालय यह भी पाती है कि अभियुक्त/अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह तर्क कि जप्ती स्थल पर विनिषिद्ध वस्तु जप्त नहीं किया गया और नमूने भी वहां नहीं लिए गए, में कोई बल नहीं है, क्योंकि अभिलेखों से स्पष्ट है कि विनिषिद्ध वस्तु की जप्ती के बाद उसे पूरी तरह से सील किया गया और रासायनिक परीक्षण के लिए भेजा गया, जिसके पश्चात प्रयोगशाला से सकारात्मक प्रतिवेदन प्राप्त हुई। यह न्यायालय अभियुक्त/अपीलार्थी के अधिवक्ता के इस तर्क में भी कोई बल नहीं पाती कि उच्च प्राधिकारियों को रेडियो संदेश भेजना एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 57 के अनुपालन के लिए पर्याप्त नहीं है। अभिलेखों से स्पष्ट है कि अभियोजन ने अधिनियम की धारा 57 में वर्णित सभी आज्ञापक प्रावधान की औपचारिकताओं को पूरा किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11.अतः अभिलेखों पर उपलब्ध सामग्री से स्पष्ट है कि अभियोजन ने इस विशेष अधिनियम के प्रावधानों के अधीन अपने वैधानिक दायित्व का निर्वहन कर दिया है और सभी आवश्यक औपचारिकताएँ पूरी करने के पश्चात अभियुक्त/अपीलार्थी के कब्जे से 15 किलोग्राम गांजा जप्त किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से ऐसी कोई कमी प्रतीत नहीं होती, जिस पर

आधारित होकर अभियुक्त/अपीलार्थी को कोई लाभ प्राप्त हो सके। अधीनस्थ न्यायालय के निष्कर्ष, साक्षियों के साक्ष्यों के समुचित अभिमुल्यांकन पर आधारित हैं, जिनमें इस अपील में किसी प्रकार की हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः, यह अपील निरर्थक होने से खारिज किए जाने योग्य है और तदानुसार इसे खारिज किया जाता है। अपीलार्थी (अपील) के जमानत पर होने की सूचना प्राप्त हुई है। उसका जमानत बंधपत्र निरस्त किया जाता है। उसे शेष दंड की अवधी पूरी करने हेतु तत्काल जेल भेजा जाए।

सही/-

प्रीतिंकर दिवाकर

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By Prashant Kumar